दिनांक–20.01.2012 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में लिये गये निर्णय।

भवन निर्माण विभाग

1. रू० 274.20 करोड़ (दो सौ चौहतर करोड़ बीस लाख) की लागत पर पटना में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्र (International Convention Centre) के निर्माण से संबंधित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति देने तथा इससे संबंधित परियोजना का विस्तृत वास्तुविदिय सेवा एवं विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु चयनित वास्तुविद परामर्शी को 1.8% (एक दशमलव आठ प्रतिशत) (सेवा शुल्क अतिरिक्त) परामर्शी शुल्क के आधार पर चयन की स्वीकृति के संबंध में। — स्वीकृत।

योजना एवं विकास विभाग

2. योजना एवं विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन गठित स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के अंतर्गत जिला स्तरीय संभाग की संरचना हेतु कुल 456 अराजपत्रित पदो के सृजन के प्रस्ताव की स्वीकृति। — स्वीकृत।

योजना एवं विकास विभाग

(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

3. समेकित बाल विकास सेवा योजनान्तर्गत कार्यरत आंगनबाड़ी सेविकाओं को उनके पोषक क्षेत्र के अधीन 21 दिनों के भीतर घटित जन्म और मृत्यु की घटनाओं का रजिस्ट्रीकरण हेतु संबंधित पंचायत सचिव–सह–रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) के नियंत्रणाधीन उप–रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) नियुक्त करने के संबंध में। — स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

4. वर्ष 1984–85 के लक्ष्मी नारायण गुप्ता राम सखी प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय राजनगर, मधुबनी में विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा नियुक्त 03 सहायक शिक्षक एवं 02 आदेशपाल की सेवा मान्यता तत्काल आदेश निर्गत की तिथि से प्रदान करने, जाँच क्रम में लगातार कार्यरत पाये जाने पर यथा स्थिति 01.01.89 से सेवा मान्यता प्रदान करने, 5 (पॉच) बराबर किस्तों में बकाया अद्यतन भुगतान करने एवं उनके वेतनादि के भुगतान हेतु वर्ष 2011–12 में 10,00,660.00 (दस लाख छः सौ साठ) रूपये मात्र की स्वीकृति तथा 7 (सात) शिक्षकों 2 (दो) लिपिकों एवं 2 (दो) आदेशपालों का दावा स्वीकृत मानक के अनुरूप नहीं रहने के आधार पर सेवा मान्यता का दावा अस्वीकृत करने के संबंध में। — स्वीकृत।

संसदीय कार्य विभाग

5. पंचदश बिहार विधान सभा के पंचम–सत्र तथा बिहार विधान परिषद् के 170वें सत्र का औपबंधिक कार्यक्रम की स्वीकृति के संबंध में। — स्वीकृत।

गृह विभाग
(विशेष)

6. दिनांक–03.06.2011 को फारबिसगंज जिला–अररिया में हुई पुलिस गोलीकांड की न्यायिक जाँच हेतु गठित आयोग का दिनांक–22.12.2011 से 31.12.2012 तक अवधि विस्तार के संबंध में। — स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

7. जल संसाधन विभाग के अंतर्गत पी०डब्लू०डी० फार्म एफ–2 एकरारनामा के तहत कार्यान्वित कराये जा रहे (1) पुनपुन बराज निर्माण कार्य (2) दुर्गावती जलाशय के चेन 18 से 26 तक रीभर क्लोजर का कार्य एवं (3) मंडई वीयर योजना के कार्य को पूर्ण करने हेतु इनके अवशेष कार्यों के लिए एम०बी०डी० (Standard bidding Document) की कंडिका 10cc में यथा–प्रावधानित लेबर कंपोनेंट, पी०ओ०एल० (Petroleum, Oil, Lubricant) कंपोनेंट, प्लान्ट एण्ड मशीनरी स्पेयर्स कंपोनेंट एवं अदर मैटेरियल कंपोनेंट मदों में मूल्य–सामंजन (price adjustment) को अनुमान्य करने के संबंध में। — स्वीकृत।

पर्यावरण एवं वन विभाग

8. बिहार राज्य जल (प्रदुषण निवारण एवं नियंत्रण) (सहमति शुल्क) नियमावली–1984 में संशोधन के संबंध में। — स्वीकृत।

पर्यावरण एवं वन विभाग

9. पर्यावर्णिक स्वीकृति हेतु सुक्ष्म परीक्षण शुल्क (Scrutiny Fee) का निर्धारण। — स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

(सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय)

10. विपन्न वर्ग के विकलांग निःशक्तजनों के लिए विशेष कृत्रिम अंग एवं उपकरण उपलब्ध कराने के लिए संचालित ''मुख्यमंत्री सामर्थ्य योजना'' के प्रावधानों में संशोधन। — स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

(सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय)

11. कबीर अन्तयेष्टि अनुदान योजना के वर्त्तमान प्रावधान में संशोधन। — स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

(आई०सी०डी०एस० निदेशालय)

12. वित्तीय वर्ष 2011–12 में राज्य के 12 जिलों के 176 बाल विकास परियोजनाओं में 30858 ऑगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 'किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए राजीव गॉधी योजना'–''सबला कार्यक्रम'' के कार्यान्वयन के निमित्त केन्द्रीय प्रायोजित योजना मद से पूरक पोषाहार (केन्द्रांश 50 प्रतिशत) एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण आदि अन्य अवयवों (केन्द्रांश शत प्रतिशत) हेतु 31,16,05,000/–(एकतीस करोड़ सोलह लाख पाँच हजार रूपये) एवं राज्य योजना मद से पूरक पोषाहार (राज्यांश 50 प्रतिशत) हेतु 24,47,25,000/–(चौबीस करोड़ सैंतालीस लाख पचीस हजार रूपये) व्यय करने की स्वीकृति। — स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

13. नालन्दा जिलान्तर्गत बिहार शरीफ अंचल के मौजा–भैंसासुर, थाना नं०–122, खाता संख्या– असर्वेक्षित, खेसरा संख्या–असर्वेक्षित, रकवा–1.32 एकड़ बिहार सरकार की भूमि नालन्दा महिला महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु मानव संसाधन विकास विभाग को निःशुल्क अंतर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में। — स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

14. नालंदा जिलान्तर्गत नगरनौसा अंचल के मौजा–कुड़वा, थाना नं०–210, खाता नं०–122, खेसरा नं०–189, रकवा–2.90 एकड़ गैर मजरूआ आम किस्म पोखर भूमि नवसृजित प्रखंड सह अंचल कार्यालय, नगरनौसा के भवन निर्माण हेतु ग्रामीण विकास विभाग को निःशुल्क अंतर्विभागीय स्थायी हस्तांतरण के संबंध में। — स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

15. कैमूर जिलान्तर्गत नुऑव अंचल के मौजा–भटवलिया, थाना नं०–268, खाता संख्या–58, खेसरा संख्या–551, रकवा–0.17 एकड़ अनाबाद सर्वसाधारण किस्म गड्ढा भूमि न्यू प्राथमिक विद्यालय, भटवलिया के भवन निर्माण हेतु मानव संसाधन विकास विभाग को निःशुल्क अंतर्विभागीय स्थायी हस्तांतरण के संबंध में। — स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

16. बक्सर जिलान्तर्गत सिमरी अंचल के मौजा–परमानपुर, थाना नं०–139, खाता संख्या–94, खेसरा संख्या–31, 28 एवं 29 रकवा क्रमशः 0.03, 0.03 एवं 0.09 एकड़ कुल रकवा–0.15 एकड़ अनाबाद बिहार सरकार की भूमि उत्क्रमित मध्य विद्यालय परमानपुर के भवन निर्माण हेतु मानव संसाधन विकास विभाग को निःशुल्क अंतर्विभागीय स्थायी हस्तांतरण के संबंध में। — स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

17. मधुबनी जिलान्तर्गत राजनगर अंचल के मौजा–रॉटी, थाना संख्या–60, खाता संख्या–566, खेसरा संख्या–202, रकवा–0.97 एकड़ अनाबाद सर्वसाधारण बिहार सरकार भूमि बालगृह निर्माण हेतु समाज कल्याण विभाग को निःशुल्क स्थायी हस्तांतरण करने के संबंध में। — स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

18. नाबार्ड ऋण परियोजना (आर॰आई॰डी॰एफ॰–XVI) के तहत किशनगंज जिलान्तर्गत अररिया–बहादुरगंज–ठाकुरगंज (एल०आर०पी०) पथ के कि॰मी॰–58 में ताराबारी के निकट कनकई नदी पर भू–अर्जन कार्य एवं पहूँच पथ कार्य सहित 9x24.00 मी० आकार के उच्चस्तरीय आर॰सी॰सी॰ पुल का निर्माण कार्य कुल 2759.43 लाख (सत्ताईस करोड़ उनसठ लाख तैतालीस हजार) रूपये के अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

19.	बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना के स्थापना व्यय/वेतनादि भुगतान हेतु वर्ष 2011–12 में गैर योजनान्तर्गत 25,00,000/–(पच्चीस लाख रूपये मात्र) सहायक अनुदान की स्वीकृति।	स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

20.	नाबार्ड ऋण परियोजना (आर॰आई॰डी॰एफ॰–XVI) के तहत समस्तीपुर जिलान्तर्गत खानपुर पथ में बूढ़ी गंडक नदी पर अंगारघाट में बचाव कार्य, भू– अर्जन एवं पहूँच पथ सहित 10x24.75m आकार के उच्चस्तरीय आर॰सी॰सी॰ पुल का निर्माण कार्य कुल 2096.72 लाख (बीस करोड़ छियानवे लाख बहत्तर हजार) रूपये की अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	स्वीकृत।